न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये कॉलेजियम प्रणाली

प्रलिम्स के लिये:

कॉलेजियम प्रणाली, भारत के मुख्य न्यायाधीश।

मेन्स के लिये:

कॉलेजियम प्रणाली का विकास और इसकी आलोचना।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को **मद्रास उच्च न्यायालय** का **मुख्य न्यायाधीश** नियुक्त करने की सिफारिश की है।

कॉलेजियम प्रणाली और इसका विकास:

- यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है।
- **कॉलेजियम प्रणाली का विकास:**
  - **प्रथम न्यायाधीश मामला (1981):**
    - इसने यह निर्धारित किया कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के सुझाव की "प्रधानता" को "ठोस कारणों" से अस्वीकार किया जा सकता है।
    - इस निर्णय ने अगले 12 वर्षों के लिये न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी है।
  - **दूसरा न्यायाधीश मामला (1993):**
    - सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की कि "परामर्श" का अर्थ वास्तव में "सहमति" है।
    - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह CJI की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी।
  - **तीसरा न्यायाधीश मामला (1998):**
    - राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेज़िडेंशियल रेफरेंस (Presidential Reference) के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पाँच सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें CJI और उनके चार वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होंगे।

कॉलेजियम प्रणाली का प्रमुख:

- **सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की अध्यक्षता CJI द्वारा** की जाती है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- एक **उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश** करते हैं।
  - उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिये अनुशंसित नाम **CJI और सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम के अनुमोदन के बाद** ही सरकार तक पहुँचते हैं।
- **उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से** ही की जाती है और इस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका कॉलेजियम द्वारा नाम तय किये जाने के बाद की प्रक्रिया में ही होती है।

विभिन्न न्यायिक नियुक्तियों के लिये निर्धारित प्रक्रिया:

- **भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI):**
  - **CJI और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा** की जाती है।

- अगले CJI के संदर्भ में **नविर्तमान CJI अपने उत्तराधकिारी के नाम की सफिारशि** करता है।
- हालाँकि वर्ष 1970 के दशक के अतलिंघन ववािद के बाद से व्यावहारकि रूप से इसके लयि **वरषि्ठता के आधार का पालन** कयिा जाता है।

- **सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ::**
  - सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के लयि नामों के चयन का **प्रस्ताव CJI द्वारा** शुरू कयिा जाता है।
  - CJI कॉलेजयिम के बाकी सदस्यों के साथ-साथ उस उच्च न्यायालय के वरषि्ठतम न्यायाधीश से भी परामर्श करता है, जसिसे न्यायाधीश पद के लयि अनुशंसति व्यक्ता संबंधति होता है।
  - नरि्धारति प्रक्रयिा के तहत परामर्शदाताओं को लखिति रूप में अपनी राय दर्ज करानी होती है और इसे फाइल का हसि्सा बनाया जाना चाहयि।
  - इसके पश्चात् कॉलेजयिम केंद्रीय कानून मंत्री को अपनी सफिारशि भेजता है, जसिके माध्यम से इसे राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री को भेजा जाता है।
- **उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के लयि:**
  - उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नयिुक्ति इस आधार पर की जाती है कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में नयिुक्त होने वाला व्यक्ति संबंधति राज्य से न होकर कसिी अन्य राज्य से होगा।
  - यद्यपि उनके चयन का नरि्णय कॉलेजयिम द्वारा लयिा जाता है।
  - उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सफिारशि CJI और दो वरषि्ठतम न्यायाधीशों वाले एक कॉलेजयिम द्वारा की जाती है।
  - हालाँकि इसके लयि प्रस्ताव को संबंधति उच्च न्यायालय के नविर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने दो वरषि्ठतम सहयोगयिों से परामर्श के बाद पेश कयिा जाता है।
  - यह सफिारशि मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो इस प्रस्ताव को केंद्रीय कानून मंत्री को भेजने के लयि राज्यपाल को सलाह देता है।
- **कॉलेजयिम प्रणाली की आलोचना:**
  - स्पष्टता एवं पारदर्शति की कमी।
  - भाई-भतीजावाद जैसी वसिंगतयिों की संभावना।
  - सार्वजनकि ववािदों में उलझना।
  - कई प्रतभिाशाली कनषि्ठ न्यायाधीशों और अधविक्ताओं की अनदेखी।
- **नयिुक्ति प्रणाली में सुधार हेतु कयि गए प्रयास:**
  - इसे 'राष्ट्रीय न्यायकि नयिुक्ति आयोग' (99वें संशोधन अधनियिम, 2014 के माध्यम से) द्वारा प्रतस्थिापति करने के प्रयास में वर्ष 2015 में न्यायालय ने इस आधार पर खारजि कर दयिा कि यह न्यायपालकिा की स्वतंत्रता के लयि खतरा है।

आगे की राह

- कार्यपालकिा और न्यायपालकिा को शामलि करते हुए रक्तियिों को भरना एक सतत् और सहयोगी प्रक्रयिा है और इसके लयि कोई समय-सीमा नहीं हो सकती है। हालाँकि यह एक स्थायी, स्वतंत्र नकिाय के बारे में सोचने का समय है जो न्यायपालकिा की स्वतंत्रता को बनाए रखने हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ प्रक्रयिा को संस्थागत बनाने के लयि न्यायकि प्रधानता की गारंटी देता है लेकनि न्यायकि वशिषि्टता की नहीं।
- इसे स्वतंत्रता सुनशि्चति करनी चाहयि, ववधिता को प्रतबिबिति करना चाहयि, पेशेवर क्षमता और अखंडता का प्रदर्शन करना चाहयि।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/collegium-system-for-the-appointment-of-judges-2